

नगर निगम, रोहतक

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण

कृपया ध्यान देवे:-

1. अपने घर में हुई प्रत्येक जन्म व मृत्यु का पंजीकरण 21 दिन के अन्दर-2 निशुल्क जन्म एवं मृत्यु कार्यालय में अवश्य करवाये। जन्म व मृत्यु का पंजीकरण। (अधिकतम 30 दिन तक निर्धारित शुल्क सहित करवाया जा सकता है।)। इसके बाद लेट रजिस्ट्रेशन के लिये बहुत लम्बी प्रक्रिया से गुजरना होगा। आपको रजिस्ट्रेशन करवाते समय लिखवाये गये नामों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है कि वो उसके सम्बन्धित प्रमाण पत्रों जैसे की राशन कार्ड, बैंक खाता, पासपोर्ट/ स्कूल आदि में वर्णित नाम ही लिखवायें ताकि भविष्य में परेशानी का सामना ना करना पड़े।
2. किसी भी सरकारी या निजी हास्पिटल में हुये जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी सम्बन्धित हास्पिटल प्रबन्धक की होती है।
3. जन्म का रजिस्ट्रेशन करवाते समय बच्चे के नाम का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र की स्कूल के दाखिले के समय, पासपोर्ट व ड्राईविंग लाईसेंस आदि बनाने के दौरान मांग की जाती है।
4. जन्म के समय बच्चे के नाम के बिना करवाये गये रजिस्ट्रेशन के मामलों में बच्चे का नाम खाली कालम में लिखवाने का जन्म तिथि में 15 वर्ष तक का है। खाली कालम में बच्चे का नाम एक वर्ष तक निःशुल्क माता या पिता द्वारा साधारण आवेदन पत्र देकर लिखवाया जा सकता है।
5. एक वर्ष के बाद तथा 15 वर्ष तक माता या पिता द्वारा एक शपथ पत्र तथा निर्धारित शुल्क देकर बच्चे का नाम लिखवाया जा सकता है। बच्चे का एक बार लिखवाया गया नाम नियमानुसार किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता।